मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

विज्ञप्ति क्रमांक/ 13910 /चयन/2016 इन्दौर, दिनांक – 20.12.2016

विज्ञप्ति

ग्रीनकार्डधारकों को आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट एवं साक्षात्कार में अतिरिक्त 5 प्रतिशत अंकों का लाभ शासनादेश के पालन में अब देय नहीं होगा

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–11/2016/3/एक भोपाल दिनांक 16.12.2016 द्वारा ग्रीनकार्डधारियों को प्रदत्त आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट एवं साक्षात्कार में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक की सुविधा तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है।

2/ आयोग द्वारा भविष्य में होने वाले विज्ञापनों में ग्रीनकार्डधारकों को देय उक्त सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

3/ राज्य सेवा परीक्षा–2017 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा–2017 के जारी विज्ञापनों में जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 08.01.2017 एवं राज्य प्रौद्योगिकी परीक्षा–2016 के जारी विज्ञापनों में जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 18.01.2017 है इन विज्ञापनों में शासन के उक्त परिपत्र दिनांक 16.12.2016 के प्रावधानों को लागू करते हुए 02 वर्ष की देय आयु सीमा की छूट एवं साक्षात्कार में 5 प्रतिशत देय अंकों का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

4/ पूर्व में जारी विज्ञापनों अंतर्गत एवं अन्य सीधे साक्षात्कार के माध्यम से चयन की रिक्तियों हेतु जिनमें साक्षात्कार आयोजित होना है, ऐसे जारी समस्त विज्ञापनों में ग्रीन कार्डधारकों को साक्षात्कार में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने की सुविधा भी समाप्त की जाती है।

Vay

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-11/2016/3/एक | भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषय :- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किये गये ग्रीनकार्ड धारकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में 05 प्रतिशत अंक की सुविधा एवं नियुक्ति हेतु आयु-सीमा में दो वर्ष की छूट के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-40/84/3/1 दिनांक 11 जनवरी, 1985, क्रमांक सी 3-40-ब-84-(3)1 दिनांक 11 जनवरी, 1985.

- - - - -

संदर्भित आदेशों द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किये गये ग्रीनकार्ड धारकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांकों के 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने एवं आयु-सीमा में 02 वर्ष की छूट की सुविधा 26 जनवरी, 1985 से लागू की गई थी।

वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम [illegible] के अनुसार- "जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरित नहीं होगा, के प्रावधान एवं शासन द्वारा वर्ष 2012 में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप साक्षात्कार में 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक एवं आयु-सीमा में 02 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण राज्य शासन द्वारा संदर्भित दोनों परिपत्र दिनांक 11 जनवरी, 1985 तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(डी.पी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग